

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14.01.2022
स्थान – जिला न्यायालय कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक / दो—11—2 / 2007(Part-II)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 15.12.2021

इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत रिक्त निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय और छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1—1 / 2012 / 1—3, अटल नगर, दिनांक 28.05.2019 के अनुसार सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु केवल जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसलिये सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण सामान्य स्थापना हेतु

क्र0	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद											
			अनुसूचित जाति						अनुसूचित जनजाति						अन्य पिछड़ा वर्ग						सामान्य					
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सौनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सौनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सौनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सौनिक	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूतपूर्व सौनिक				
1.	भृत्य/दफ्तरी कम फराश	06	1	-	-	-	03	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	योग-	06	1	-	-	-	03	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपरोक्त पदों का वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता :-

01. भृत्य/दफ्तरी कम फराश के पद के लिये – छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-1 (15600—49400)

शैक्षणिक योग्यता :-

- अ)– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पाँचवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण—पत्र ।

आयु एवं पात्रता

- (1) (अ)–कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा ।
 (ब)– एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे ।
 (स)– कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
- (2) दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।
- (3) **उच्चतम आयु सीमा में छूट –**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3(एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93 / 1 अस0प0 दिनांक 20.01.1994 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-3-2 / 2015 / 1-3 दिनांक 23.01.2017 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(एक) (3)— छ०गो शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पैड कर्मचारियों तथा छ०गो राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

3(एक) (4)— ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :— छटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

3(एक) (5)— ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।

3(एक) (6)— महिलाओं के लिये आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

3(एक) (7)— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

3(एक) (8)— स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु **38** वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

3(एक) (9)— विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3(दो) (1)— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्राजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(दो) (2)— विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 तथा शहीद राजीव

पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमाँक एफ-19-2 / 2005 / 1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

- टीप :—(1) बिन्दु क्रमाँक-3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।
 (2) बिन्दु क्रमाँक-3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिन्दु क्रमाँक-01 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

- (3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए-4 साईज के पेपर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन-पत्र निरस्त किये जा सकते हैं । पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र दिनांक 14/01/2022 की संध्या 05 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद “भूत्य/दफ्तरी कम फर्राश के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र” लिखा हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । (व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे) दिनांक 14/01/2022 की संध्या 05 बजे के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन-पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाणपत्र, उम्र में छूट संबंधी दस्तावेज यदि हो तो (आवेदक पाँचवीं कक्षा से अधिक अपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता तक का प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा पाँचवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।
3. ऐसे अर्थर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुये दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 25/- रुपये की डाक टिकट चर्चा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें । यदि आवेदक द्वारा टिकट चर्चा किया हुआ

लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है, तो साक्षात्कार की तिथि के संबंध में सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक के स्वयं की होगी ।

5. ई—मेल अथवा फैक्स के द्वारा प्रेषित् आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे । बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन—पत्र निरस्त माना जावेगा । विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित् आवेदन—पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

चयन प्रक्रिया

- 1— पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा पाँचवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता कम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा ।
- 2— साक्षात्कार कुल 15 अंक का होगा ।
- 3— 5 वीं कक्षा से उच्चतम शैक्षणिक योग्यता पर शीर्ष अंक नहीं दिया जावेगा ।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं रिक्त पदों की संख्या की दोगुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी । प्रतीक्षा सूची, परिणाम घोषित करने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी ।

अन्य आवश्यक सूचनाएँ

1. छ०ग० शासन सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम—1961 के नियम—8 एवं अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक 28.07.2020 राजपत्र में प्रकाशन तिथि के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी ।
2. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा ।
3. चयन उपरान्त कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
4. चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा ।
5. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
6. चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पाई जाती है, तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।
8. रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है ।
9. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० को होगा ।
10. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ०ग० का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन—पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यन्त सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन—पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन—पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य विशेष सूचनाएँ

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जा सकेगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन—पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन्हें साक्षात्कार हेतु सूचना पत्र उनके आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किये गये लिफाफा जिसमें पर्याप्त डाक टिकट लगा हो के माध्यम से जारी किये जायेंगे तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा। उपयुक्त पाये गये तथा निरस्त किये गये आवेदन—पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक—पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड कर दी जायेगी। साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे साक्षात्कार तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन—पत्र जमा करने के प्रमाण—पत्र सहित उपस्थित हो सकेंगे या वेबसाईट से डाउनलोड कर अपने फोटो के साथ उपस्थित हो सकेंगे।

जिला न्यायालय की वेबसाईट districts.ecourts.gov.in/korea पर भी साक्षात्कार हेतु उपयुक्त, अनुपयुक्त उम्मीदवारी की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

“साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जावेगा तथा जिला न्यायालय कोरिया की वेब साईट <http://districts.ecourts.gov.in/korea> में भी अपलोड किया जावेगा”

स्थान :— बैकुण्ठपुर

दिनांक :—

अध्यक्ष

चयन समिति

कार्यालय एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छोगो)

आवेदन—पत्र का प्रारूप

प्रति,

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर ४०८०**

स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट
फोटो चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :
3. पिता / पति का नाम :
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :
5. स्थाई पता :
6. राष्ट्रीयता :
7. जन्म तिथि : दिनांक माह वर्ष
8. दिनांक 01.01.2021 को आयु : दिन माह वर्ष
9. जन्म स्थान :
10. वर्ग(अनुसूचित जाति / अनु०जनजाति) :
/ अन्य पि०वर्ग / अनारक्षित)
11. शैक्षणिक अर्हता (पद के न्यूनतम योग्यता से शुरू करें) :-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

12. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :
(यदि है)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित
पंजीयन क्रमाँक तिथि दिनाँक
नवीनीकरण दिनाँक :

14. रोजगार कार्यालय का नाम :

15. क्या आप विवाहित हैं हाँ/नहीं :

16. दो से अधिक जीवित संतान होने
की दशा में :

17. संलग्नों की सूची :—

1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा - पत्र

ਮੈਂ ਧੋਖਣ

करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर (परा नाम एवं पता)

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :